



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 249-डीएस -अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2015

दिनांक: 07 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 द्वारा निविष्ट नियम-8(क) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में ultra vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-8/4/1 /2002 टी0सी0-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं0-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, निम्नांकित स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्मिकों को आरक्षण की धारा-3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद पर की गयी प्रोन्नति को निरस्त करते हुये, उन्हें एतद्वारा स्तम्भ-4 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से पदावनत किया जाता है एवं तत्क्रम में उनके पोषक वर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के आधार पर स्तम्भ-5 में उल्लिखित पद पर सम्मुख अंकित तिथि से विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुरूप चयनित करते हुये, तदनुसार प्रोन्नत किया जाता है :-

क्रम सं0	नाम/सम्प्रेक्षा सं0/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि/संवर्ग/वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम	धारा 3(7) के माध्यम से प्राप्त की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम
1	2	3	4	5
1	शिव बालक (अनु0जा0)/ एस-1360/लखनऊ/ 31.01.2016/लेखा संवर्ग/ वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, मा0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ	वरिष्ठ लेखा अधिकारी लेखा अधिकारी सहायक लेखा अधिकारी	लेखाकार	सहायक लेखा अधिकारी 06.05.2015
2	रमा शंकर प्रसाद (अनु0जा0)/ आर-1381/चन्दौली/ 31.12.2016/लेखा संवर्ग/ वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी।	वरिष्ठ लेखा अधिकारी लेखा अधिकारी सहायक लेखा अधिकारी	लेखाकार	सहायक लेखा अधिकारी 06.05.2015
3	अमरेश कुमार सकरवाल (अनु0जा0)/ ए-852/सहारनपुर/ 30.06.2024/लेखा संवर्ग/ सहायक लेखाधिकारी (रा0) वि0वि0ख0, मुजफ्फरनगर।	सहायक लेखा अधिकारी	लेखाकार	सहायक लेखा अधिकारी
4	मेवा राम (अनु0जा0)/ एम-612/बुलन्दशहर/ 31.07.2027/लेखा संवर्ग/ लेखाधिकारी, जाँच समिति, लखनऊ।	लेखा अधिकारी सहायक लेखा अधिकारी	लेखाकार	सहायक लेखा अधिकारी
5	हरीश वर्मा (अनु0जा0)/ एच-244/आगरा/30.11. 2026/लेखा संवर्ग/सहायक लेखाधिकारी, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।	सहायक लेखा अधिकारी	लेखाकार	सहायक लेखा अधिकारी

(Signature)

इंजीनियरिंग विभाग का कार्यालय

(निकाश के प्रमुख के कार्यालय)

कानपुर, महाराष्ट्र-2015

क्रम सं०	नाम/सम्प्रेषा सं०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि/संवर्ग/वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम	धारा 3(7) के माध्यम से प्राप्त की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम
1	2	3	4	5
6	ननकऊ (अनु०जा०)/ एन-260/लखनऊ / 31.01.2024/लेखा संवर्ग/ सहायक लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), वाराणसी।	सहायक लेखा अधिकारी	लेखाकार	सहायक लेखा अधिकारी

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक
संख्या:249-डीएस-अ०प्र०(23)/पा०का०लि०/2015 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल/पूर्वाञ्चल/दक्षिणाञ्चल/पश्चिमाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कैरको लि०, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त कार्मिक को मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिनांक 21.03.2007 को पारित अन्तिम निर्णय में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा गठित द्विःसदस्यीय समिति का यथावधि अनुमोदन प्राप्त कर, उक्त कार्मिक की पुनः तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
उक्त के अतिरिक्त, मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या-414/2015 में दिनांक 20.08.2015 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्मिक को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जाएगा।
5- निदेशक (का०प्र०एवंप्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि वे शक्ति भवन मुख्यालय एवं सम्बद्ध इकाईयों में तैनात कार्मिकों को अवमुक्त कराकर, अग्रेतर आदेशों तक अपने कार्यालय से सम्बद्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6- समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०।
8- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002टी०सी०-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं०-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
10- उप सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11- सम्बन्धित कार्मिक/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,
(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव